संख्या-165/2018/2457(a)/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 03 अगस्त 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-940/स0क0/ए0टी0एस0-प्रकोष्ठ/2018-19 दिनांक-23.07-2018 एवं पत्रांक-940(1)/स0क0/ए0टी0एस0-प्रकोष्ठ/421/2018-19 दिनांक-23.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने हेतु अधिशासी निदेशक, उ0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लि0, जवाहर भवन लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रति विद्यालय लागत रू0-2287329/- की दर से कुल 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु कुल धनराशि रू0-212722000/-(रू0 इक्कीस करोड सत्ताईस लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखें जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों/शासनादेशो/आदेशों मे निहित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करते हुये न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी जायेगी।

2-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

4-न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2019 तक व्यय हो सके।

6-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2018-19 में नही की जायेगी।

7-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

9-स्वीकृत धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में विद्यमान सुसंगत आदेशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र व्यय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-165/2018/2457(a)(1)/26-3-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2018-2019 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-	67400.00	2127.22	2127.22	2127.22	65272.78
योग	67400.00	2127.22	2127.22	2127.22	65272.78

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र-	0.00	2127.22	2127.22	2127.22	2127.22
योग	0.00	2127.22	2127.22	2127.22	2127.22

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन हेतु अपरिहार्यता के कारण।

संख्या-आर0ई0-68/दस-2018, दि0 3-8-18

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या—165/2018/4557 (1)/26—3—2018—दिनांक 03-08-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3— निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5— वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 (दो प्रतियों में)
7— बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

sh.up.nic.in